सं. 21/5/2017-ई.II(बी)
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
व्यय विभाग

नई दिल्ली, 02 अगस्त, 2017

**कार्यालय ज्ञापन**

**विषय: केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किया जाना।**

केन्द्र सरकार के कर्मचारियों को परिवहन भत्ता प्रदान किए जाने के संबंध में सातवें केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशें लागू किए जाने के बारे में इस विभाग के दिनांक 07.07.2017 के समसंख्यक कार्यालय ज्ञापन में आंशिक संशोधन करते हुए, राष्ट्रपति यह विनिश्चय करते हैं कि केन्द्र सरकार के कर्मचारी जो वेतन मैट्रिक्स के वेतन लेवल 1 और 2 में 24,200/- रुपए और इससे अधिक वेतन आहरित कर रहे हैं, उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन के अनुबंध में उल्लिखित शहरों में 3600/- रुपए की दर से परिवहन भत्ते + उस पर महंगाई भत्ते और सभी अन्य स्थानों में 1800/- रुपए की दर से परिवहन भत्ते + उस पर महंगाई भत्ते के पात्र होंगे।

2. दिनाकं 07.07.2017 के उपर्युक्त कार्यालय ज्ञापन की अन्य सभी विषय-वस्तु अपरिवर्तित रहेगी।

3. **ये आदेश 01 जुलाई, 2017 से लागू हैं।**

4. ये आदेश केन्द्र सरकार के सभी सिविल कर्मचारियों पर लागू होंगे। ये आदेश उन सिविल कर्मचारियों पर भी लागू होंगे जिन्हें "रक्षा सेवा प्राक्कलनों" से भुगतान किया जाता है। सशस्त्र बलों के कार्मिकों और रेलवे कर्मचारियों के संबंध में आदेश अलग से क्रमश: रक्षा मंत्रालय और रेल मंत्रालय द्वारा जारी किए जाएंगे।

5. जहां तक भारतीय लेखापरीक्षा और लेखा विभाग में सेवारत व्यक्तियों का संबंध है, ये आदेश भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के परामर्श से जारी किए गए हैं।

**(ऐनी जॉर्ज मैथ्यू)**
संयुक्त सचिव, भारत सरकार

सेवा में
**भारत सरकार के सभी मंत्रालय और विभाग आदि (मानक वितरण सूची के अनुसार)।**
**प्रतिलिपि: नियंत्रक महालेखापरीक्षक और संघ लोक सेवा आयोग आदि (मानक पृष्ठांकन सूची के अनुसार) (सामान्य संख्या में अतिरिक्त प्रतियों के साथ)।**